International Journal of Education and Science Research Review
Volume-11, Issue-4 July-August-2024 E-ISSN 2348-6457
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Impact Factor - 7.02 Email- editor@ijesrr.org

मेघालय के माध्यमिक स्तर के हिंदी भाषा शिक्षकों की शिक्षण विधियों एवं छात्रों पर उसका प्रभाव : समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ० ज्ञानेन्द्र कुमार (पर्यवेक्षक), शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली

शोधार्थिनी
रूचि (पीएच०डी०) स्कोलर

शोध सारांश

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आठ राज्य शामिल हैं, जिनमें साक्षरता का स्तर ऊंचा है और यह भाषाई विविधता के साथ जातीय सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है, इसके बावजूद, इस क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का अभाव है और प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। मेघालय और भारत के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शिक्षा की वर्तमान प्रणाली उन्नीसवीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में शुरू हुई, जिसका मुख्य कारण व्यापारियों के रूप में आए ईसाई मिशनरियों के प्रयास हैं। शुरुआत में भारत में शिक्षा प्रणाली को लेकर पश्चिमी देशों में थोड़ा विवाद था। हालांकि, आजादी के बाद देश में शिक्षा का पैटर्न और प्रणाली एक समान हो गई। शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार बनाने के भारतीय सरकार के फैसले का पूर्वोत्तर के लोगों ने व्यापक रूप से स्वागत किया है। पिछले कुछ वर्षों में, अच्छे स्कूलों, विशेष रूप से अंग्रेजी माध्यम वाले, की बढ़ती मांग के कारण यह सरकारी और तौर पर संचालित दोनों स्कूलों के लिए सच था, और इर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी। अधिकांश स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की संख्या अलग– अलग थी, जो इस बात पर निर्भर करती थी कि उनके पास प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल डिवीजन हैं या नहीं।

बीजक शब्द :– संचालित, शैक्षणिक, संस्थान, शिक्षक, आदि।

प्रस्तावना

गवर्निंग बोर्ड को मेघालय राज्य के अधिकांश स्कूलों के सामने आने वाली समस्याओं से परिचित बेहतर रूप से अवगत होने की आवश्यकता है, मुख्य रूप से मानव संसाधनों के प्रबंधन, बुनियादी सुविधाओं और सुख–सुविधाओं के प्रावधान और संस्थानों के वित्तीय आधार को मजबूत करने के संदर्भ में। यदि गवर्निंग बोर्ड रणनीतिक योजना, नीतियों के उचित कार्यान्वयन, आम जनता और स्कूलों के शुभचिंतकों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों और अपनी नियमित बोर्ड बैठकों से परे अधिक खुले संवाद पर ध्यान केंद्रित करता है, तो महत्वपूर्ण प्रभाव की बहुत गुंजाइश है।

शिक्षकों की संख्या 20 से कम से लेकर 100 या इससे अधिक तक अलग–अलग थी, जो दर्शाता है कि कई संस्थान उचित शिक्षकः छात्र अनुपात के प्रति सचेत थे। सामान्यतः स्कूलों में सेक्शन काफी बड़े होते थे, बच्चे। 27 प्रतिशत स्कूलों में 500 या इससे अधिक बच्चे थे। चार स्कूल जिनमें सभी कैथोलिक थे, में 1000 या इससे अधिक माध्यमिक स्कूल के छात्र थे। अधिकांश संस्थानों (36 में से 33) के पास अपनी जमीन थी, जो काफी अच्छे आकार

की थी, और 3 के पास उपयुक्त जमीन पट्टे पर थी। केवल 3 संस्थानों के पास अपनी स्कूल बसें थीं हालाँकि, अन्य। संस्थानों के पास प्रशासन के लिए परिवहन वाहन थे। लगभग सभी कैथोलिक संचालित संस्थानों में कैंटीन की सुविधा है। अच्छे संस्थान की एक पहचान यह हो सकती है कि वहां सभी आवश्यक पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हों और छात्रों से उन्हें खरीदने पर जोर दिया जाए। केवल एक चौथाई संस्थानों को उत्कृष्ट एक चौथाई को अच्छा और आधे को खराब दर्जा दिया गया है। संस्थानों के अधिकारियों के साथ साक्षात्कार में प्रशासन में कई कमियों और खामियों की ओर इशारा किया गया और सुधार के लिए कई मूल्यवान सुझाव दिए गए। उन्हें लगा कि गवर्निंग बोर्ड आम तौर पर उनकी समस्याओं को हल करने में सहायक था, लेकिन वे अधिक योग्य और प्रतिबद्ध सदस्यों और शिक्षकों और छात्रों की समस्याओं पर अधिक सहानुभूतिपूर्ण विचार के साथ अधिक सहायक हो सकते थे। उन्हें लगा कि बेहतर प्रशासन के साथ, स्कूल की प्रभावशीलता में काफी वृद्धि होगी।

आय को तेजी से बदल रहे वैश्विक परिदृश्य में सौरखने और शिक्षा की एक समय अनुभव बनाना महत्त्वपूर्ण है। इस बात में रखते हुए अध्यापक शिक्षा में नवप्रवर्तन की शुरुआत हो गई है। अध्यापक शिक्षा में सफल नवप्रवर्तन चार परस्पर वि के मुद्दों को हल करने पर निर्भर करता है। ये चार विषय है– पहचान, गैर निष्क्रियता, निमन्त्रण एवं नवप्रवर्तन की दिशा में किए गए प्रयास।

विश्वविद्यालय अनुदागा आयोग का गठन नवप्रवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वर्ष 1978 एवं 1988 में इस०सी०आर०टी० ने अनुशंसा दी कि पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के माध्यम से अध्यापक शिक्षा कोर्स में गुणात्मक सुधार किया जा सकता है। नवाचार या नवप्रवर्तन का अर्थ किसी उत्पाद प्रक्रिया या सेवा में थोड़ा या बहुत परिवर्तन लाने से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत कुछ नया तरीका अपनाया जाता है। शैक्षिक नवाचारों का उद्‌भव स्वतः नहीं होता है वरन् इन्हें खोजन पड़ता है। अध्यापक शिक्षा पद्धति में परिवर्तन कर रोजगारोन्मुख बनाना नवाचार कहलाता है।

शैक्षिक पर्यटन कार्यक्रम भी नवप्रवर्तन का ही भाग माना जाता है, जो शिक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाता है। विभिन्न विद्यालय की पाठ्य–वस्तु का वास्तविक अनुभव, ज्ञान प्रदान करने के लिए उपयोगी है। स्थानीय निरीक्षण द्वारा उद्योग, भौगोलिक परिस्थिति, ऐतिहासिक स्थल, व्यापार, बैंक, कचहरी, राजकीय इमारतों का वास्तविक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इन सभी कार्यों के संचालन के लिए विद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रशिक्षित अध्यापक को नियुक्त किया जाता है, जो मार्गदर्शक का कार्य करता है तथा विद्यार्थियों को उचित ज्ञान प्रदान करता है। इस जानकारी को केवल पाठ्य–पुस्तक से नहीं, बल्कि वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर विद्यार्थी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसमें अध्यापक का योगदान सराहनीय होता है।

अध्यापक विकास को प्रभावित करने वाले कारक अध्यापन को एक जटिल कार्य के रूप में पेश किया जाता है। इस पेशे से जुड़े अध्यापक नियमित रूप से ऐसी समस्याओं का सामना करते रहते हैं। इस पेशे से जुड़ी समस्याओं के प्रतिरूप भले ही अलग होते हैं, परन्तु इससे अध्यापन प्रणाली निश्चित रूप से प्रभावित होती है। इसके कारण इस प्रकार से हैं–

1. वैयक्तिक कारक
2. प्रासंगिक कारक

आई०सी०टी० एकीकरण अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए गुणवत्ता प्रबन्धन–

किसी भी शैक्षिक सुधार की सफलता बहुत बड़ी सीमा तक अध्यापकों के व्यावसायिक विकास पर निर्भर करती है–

अभिप्रेत सुधार को क्रियान्वित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसलिए व्यावसायिक विकास के प्रयासों का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वस्तु के जान और शैक्षिक सुधार की जानकारी में व्यापक वृद्धि की जाए और यह समझाया के लिए इसका अर्थ है क्योंकि स्कूलों में पढ़ाने और सौखने में सुधार करने के लिए आवश्यक पटक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद सेवापूर्व और सेवाकालीन दोनों प्रकार के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की स्पोकने और उन्हें अभिष्ट करने का कार्य करती है।

अध्यापक शिक्षा में नवप्रवर्तन

माध्यमिक विद्यालयों में तेजी से बदल रहे वैश्विक परिदृश्य में सीखने और शिक्षा को एक समय अनुभव बनाना महत्त्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा में नवप्रवर्तन की शुरुआत हो गई है। अध्यापक शिक्षा में सफल नवप्रवर्तन चार परस्या सम्बन्धित विषयों के मुद्दट्टदों को हल करने पर निर्भर करता है। ये चार विषय हैं–पहचान, गैर–निष्क्रियता, निमन्त्रण एवं पाठ्यक्रम एक अध्यापक और छात्रों के बीच की गतिशीलता कक्षा के सार को परिभाषित करती है। एक उत्कृष्ट अध्यापक ईंट और मोर्टार के माध्यम से भवन का निर्माण कर सकता है और छात्रों को शुद्ध अधिगम के लिए यात्रा पर ले सकता है। शिक्षा–प्रणाली किसी भी स्थिति में अध्यापक के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकती है। अध्यापक एवं अध्यापन सम्बन्धित कैरियर को प्रभावित करने वाले अनेक कारक है।

शिक्षक के प्रमुख उत्तरदायिन प्रभावशाली शिक्षण अधिगम की करना।

1. पाठ्यक्रम का उचित संगठन एवं नियोजनकता।
2. समुचित कक्षा व्यवस्था एवं प्रबंध करता।
3. छात्रों के कार्यों का मूल्याकन करता।
4. छात्रओं का चारित्रिक विकास करना।
5. विद्यालय प्रबंध में सहभागिता पर जोर देना।
6. उचित मानवीय संबंधों के विकास पर बल देना।
7. विद्यालयगत कार्यक्रमों में सहयोग देना।
8. प्रभावपूर्ण सामुदायिक क्रियाओं का आयोजन करना।
9. छात्रों को व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन करना।
10. छात्रों की समस्याओं का निदान एवं समुचित उपचार हेतु प्रकरण।
11. अन्य साथियों के साथ बर्ताव करना।

उपरोक्त शिक्षक के उत्तरदायित्व शिक्षक मूल्यांकन हेतु आधार बिन्दु का कार्य करते है। अतः वह उसी के अनुसार अपना व्यवहार करता है।

बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्व मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले तत्वों में निम्नलिखित मुख्य है–

(1) परिवार से सम्बन्धित कारण परिवार से सम्बन्धित कई प्रकार के तत्व बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं; जैसे–

(2) पारिवारिक निर्धनता– परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण प्रायः बालक उग्र एवं कठोर हो जाते हैं। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण उनमें असुरक्षा एवं हीनता का भाव घर कर जाता है। वह अपने को दूसरों की अपेक्षा हीन समझने लगता है जिसका मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(ii) परिवार का कठोर शासन– जिन परिवारों में बालकों को अति कठोर शासन में रखा जाता है, बालक को छोटी–छोटी बातों पर फटकार पड़ती है उनमें पलने वाले बालकों में आत्महीनता की भावना पैदा हो जाती है जो बालक को मानसिक रूप से अस्वस्थ रखती है।

(iii) माता–पिता का पक्षपात पूर्ण व्यवहार– यदि माता–पिता किसी बालक को दूसरे की अपेक्षा उसकी कुरूपता, बुद्धिहीनता, अस्वस्थता आदि के कारण कम स्नेह करने लगते हैं तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। वह अन्य भाई–बहनों के प्रति ईष्यालु हो जाता है और उसमें झगड़ालूपन तथा दूसरों को हानि पहुँचाने की भावना उत्पन्न हो जाती है।

(iv) माता–पिता की अत्यधिक ममता– बहुत से माता–पिता बच्चे को इकलौता होने के कारण या अमीरी आदि के कारण आवश्यकता से अधिक दुलार देने लगते हैं। ऐसी स्थिति में बालक सदैव अपने माता–पिता पर ही निर्भर रहना चाहता है। उसमें आत्म–निर्भरता की भावना उत्पन्न नहीं हो पाती। ऐसे बालक जीवन में कठिनाइयों का सामना करने में अपने को सदैव असमर्थ पाते हैं। इकाई और पिता के आदशों का प्रभाव जिलों से ओंकार नहीं कर रहा। आदि में भाग लेने का अभाव हता है। अनुचित पाठ्यक्रम गरि विद्यालय में औरने के विपरीत होता है तो बालक पाठ्यक्रम स्थर है और देशी स्थिति में रहने लगता है। दोषपूर्ण शिक्षण विधियों–बातों में ताओं एवं रचियों के स्तर पर चिनाई जाती है। दिन वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देकर केतुको विद्यार्थी का प्रणाय करता है तो भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षक द्वारा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोगहीने के कारण बालक को विषय–वस्तु के ग्रहण करने तथा धारण करने में कठिनाई होती है।

दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली– आज माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षाओं का तरीका अलग–अलग प्रचलित है उनमें कहीं के कारणों की योग्यता और क्षमता का ठीक ठोक मूल्यांकन नहीं हो पाता। परिणाम यह होता है और बात अच्छे अंकों से परीक्षा में उत्तीणं होते हैं और कई योग्य और परिश्रमी को मुँह देखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में योग्य बालकों में कुण्ठा उत्पन्न हो जाती है।

अ) शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव शिक्षक के व्यक्तित्व का बालकों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षक में संवेगात्मक अस्थिरता, उत्तेजनशीलता निराशा आदि की पत्न्थिी होती हैं तो बालकों के प्रति उसका व्यवहार कठोर होता है। वह बालकों को छोटी–छोटी बातों पर कठोर दण्ड देता है और बालक ऐसी स्थिति में उप और प्रतिशोधी हो जाते हैं।

(3) समाज से सम्बन्धित कारण (Causes Related to Society) जिस समाज में आन्तरिक कलह, द्वन्द्र ईर्ष्या, संघर्ष परस्पर सहयोग तथा स्वतंत्रता का अभाव, कार्य करवाने में बल का प्रयोग, पूर्वाग्रह आदि का पर्याप्त

प्रचलन होता है इनमें पलने वाले बालकों में उक्त रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार बुरा समाज बालकों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है।

(4) व्यक्तिगत कारण (Personal Causes) यदि बालक का स्वास्थ्य उचित नहीं होता है अर्थात् उसका शारीरिक विकास ठीक नहीं हुआ है अथवा किसी रोग से वह ग्रस्त है तो बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने लगता है। यदि उसके शरीर का कोई अंग विकृत हुआ तो भी उसमें हीनता की पन्थि उत्पन्न हो जाती हैं। ये होतता की ग्रन्थियों बालक को उसके वातावरण से समायोजन स्थापित करने में बाधक होती हैं।

बालक के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाये रखने के लिए परिवार, विद्यालय और समाज को कुछ विशेष उत्तरदायित्वों का पालन करना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं–

(1) परिवार के कार्यः– बालक के मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखने या उन्नत बनाने में परिवार की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है। ऐसी स्थिति में परिवार के दायित्व निम्नलिखित हैं– (1) विकास हेतु आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना–मनोवैज्ञानिकों के अपने विचार हैं कि बालक में स्वतंत्रता,

आत्मविश्वास तथा उत्तरदायित्व आदि की भावनाओं का विकास 6–7 वर्ष की अवस्था में होता है। परिवार का दायित्व है कि बालक की शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण अवसर तथा अनुकूल वातावरण प्रदान करें।

(ii) **माता–पिता का सद्व्यवहार** – बालक को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने के लिए माता–पिता को उनके प्रति समुचित रूप से प्रेम और सुरक्षा पूर्ण व्यवहार करना चाहिये। माता–पिता को बच्चों के मानसिक दृष्टिकोण के विकास के लिए सजग रहकर उनके साथ अपना अधिक–से–अधिक समय व्यतीत करना चाहिये।

(iii) परिवार का वातावरण– बालक को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाये रखने के लिए पारिवारिक वातावरण शान्ति एवं सद्भावनापूर्ण होना चाहिये। माता और पिता का परस्पर प्रेम और सद्व्यवहार बालक के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाता है। माता–पिता के साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों–भाई, बहनों आदि में भी प्रेम और सद्भावनामय स्वभाव की आवश्यकता है।

(2) शिक्षक व विद्यालय के कार्यः– बालक के मानसिक स्वास्थ्य को सबल बनाए रखने में अध्यापक और विद्यालय की भूमिका भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। इस दृष्टि से अध्यापक को चाहिये कि वह विद्यालय में उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करते हुए बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाये। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए–

(i) शिक्षक का सहनुभूतिपूर्ण व्यवहार– शिक्षक को चाहिये कि वह बालकों से प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करें। कक्षा में बालकों की रुचियों, क्षमताओं, अभिरुचियों आदि को ध्यान में रखते हुए सहयोग और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें।

(ii) अनुशासन–अध्यापकों को चाहिये कि वे विद्यार्थियों को कठोर और दमन पूर्ण अनुशासन में रखने की अपेक्षा उन्हें विद्यालय के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों में भाग लेने का समुचित अवसर प्रदान करें। उनमें स्वशासन की भावना का विकास करें और उन्हें जिम्मेदारपूर्ण कार्यों का भार देकर उनके मानसिक स्तर को उन्नत बनाएँ।

(iii) उपयुक्त पाठ्यक्रम– विद्यालय का पाठ्यक्रम बालकों की रुचि, क्षमता, अभिरुचि और आयु के अनुकूल होना चाहिये। पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिये जिससे वह बालक को बोझ भी न प्रतीत हो और वह बालक के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं का स्वस्थ और संतुलित विकास कर सके।

(iv) सन्तुलित गृहकार्य– अध्यापकों को चाहिये कि वे बालकों को इतना अधिक गृह–कार्य न दे कि वे उसे सामान्यतया पूरा न कर सकें। यदि गृह कार्य इतना अधिक होता है कि बालक उसे पूरा नहीं कर पाता तो उसके मन में चिन्ता तथा कक्षा में दण्ड पाने का भय बना रहता है। अतः बालक के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए उनकी क्षमताओं और आयु के अनुकूल ही गृह–कार्य दिया जाना चाहिए। ?

(अ) पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन– विद्यालय में अध्यापन कार्य के साथ–साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं–वाद–विवाद प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, नाटक, अभिनय, खेलकूद, पिकनिक यात्रा, स्काउटिंग आदि नविक स्वास्थ्य को उन्नत बनाये।

– वह बालकों से प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करो ध्यान में रखते हुए सहयोग और सहानुभूतिपूर्ण दमन पूर्ण अनुशासन में रखने की अपेक्षा उन्हें कार प्रदान करें। उनमें स्वशासन की भावना का सिक स्तर को उन्नत बनाएँ।

अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले तत्त्वच मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले तत्वों में मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं–

(1) अपर्याप्त वेतन– अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे बड़ा महत्त्वपूर्ण तत्व है– अपर्याप्त वेतन। अध्यापकों को उनकी योग्यता और कार्य को देखते हुए बहुत कम वेतन मिलता है। जब अध्यापक को जीवन–निर्वाह के लिए

पर्याप्त वेतन नहीं मिलता तो वह अभावों से चिन्तित रहता है जिसका उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(2) अधिक कार्यभार– अध्यापक को वेतन तो निर्वाह भर के लिए भी नहीं मिलता किन्तु उन पर कार्य का एक बहुत बड़ा बोझ लादा जाता है। शिक्षण के लिए विषय–वस्तु को तैयार करना, कक्षा में उसे प्रस्तुत करना, छात्रों में अनुशासन बनाए रखना, लिखित कार्य देना, छात्रों की त्रुटियों का निराकरण करना, उपस्थिति अंकित करना, फीस लेना, रजिस्टर बनाना, गृह कार्य देना और उत्तर–पुस्तिकाओं का संशोधन करना आदि के साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं में छात्रों को उनकी अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, ये अध्यापक का अनिवार्य कार्य–भार है। इस प्रकार अध्यापक एक कार्य पूरा नहीं कर पाता है कि दूसरे की पूर्ति की चिन्ता उसे व्यथित करने लगती है। इसका उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(3) व्यावसायिक सुरक्षा का अभाव– अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारकों में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कारण है उनकी नौकरी की असुरक्षा। बहुत–से अध्यापकों की सेवाएँ तो प्रबन्धकों की कृपा दृष्टि पर निर्भर हैं। पता नहीं कब प्रबन्धक महोदय की नजर फिर जाये और बेचारे अध्यापक की जीविका समाप्त हो गई। व्यक्तिगत संस्थाओं में यद्यपि अब सरकार का पर्याप्त दखल होने के कारण काफी सुधार है किन्तु प्रबन्धकों को

मनमानी करने का मार्ग अब भी निकल ही आता है। अतः बहुत कुछ सीमा तक ऐसे विद्यालयों में अध्यापकों की सेवाएँ नितान्त सुरक्षित नहीं हैं। इस सेवा असुरक्षा के कारण अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य बाधित होता है।

अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले जिन कारकों का उल्लेख किया गया है उनके निराकरण के साथ के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के कतिपय उपाय निम्नलिखित हैं–

(1) उचित वेतन– अध्यापकों को मानसिक रूप में स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें उचित समय पर और पर्याप्त मात्रा में वेतन दिया जाये ताकि वह अपने और अपने परिवार के भरण–पोषण में कठिनाइयों का अनुभव न करे।

(2) कार्यभार में कमी– अध्यापकों को विद्यालय में अधिक कार्य भार ढोना पड़ता है। उनके कार्य भार में कमी होनी चाहिए। अध्यापक को उतना ही कार्य दिया जाए जिसका निर्वाह वह सरलता से कर सके।

(3) शैक्षिक सुविधाएँ– विद्यालय में पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला आदि की सम्यक व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अध्ययनशील अध्यापकों को उच्च शिक्षा प्राप्ति एवं परीक्षा देने की अनुमति भी मिलती रहनी चाहिए।

(4) विद्यालय का वातावरण– बावरण मानासक स्वास्थ्य के लिये अनुकूल होता है। जातीयता, पक्षपात, स्वेच्छाचारिता से रहित वातावरण में शिक्षक का मानसिक संतुलन ठीक रहता है।

(5) अध्यापक संघ का संगठन– विभिन्न स्तरों पर शिक्षक संघों का संगठन करना चाहिए। ये संघ शिक्षक के हितों को रक्षा करते हैं। इस प्रकार ये शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में सहायता कर सकते हैं।

(6) अध्यापक का स्वयं सहयोग– अध्यापक को धैर्य और शक्ति के साथ कार्य करना चाहिए। इससे वह विभिन्न परिस्थितियों का स्वयं सामना कर सकता है। इस सम्बन्ध में गेट्स व अन्य का विचार है– ''यदि अध्यापक अपने आपको भली–भाँति समझ ले, यदि वह अपने आपको वैसा ही मान ले जैसा कि वह है. और वह अपने जीवन को निर्देशित करने में उत्साह से सक्रिय भाग ले तो वह अपने स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है।''

(7) मनोरंजन की व्यवस्था– यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि अध्यापन व्यवसाय एक चुनौतीपूर्ण एवं जटिल कार्य है।

इस व्यवसाय में प्रत्येक व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। अध्यापक के ऊपर व्यावसायिक प्रतिबन्धों के अलावा भी अनेक प्रकार की दुश्वारियाँ उसे घेरे रहती हैं। समाज उससे अपेक्षाएँ तो बहुत रखता है लेकिन उसके हितार्थ कुछ करने के दायित्व से साफ मुकर जाता है। अतः यदि हम चाहते हैं कि अध्यापक राष्ट्र एवं समाज के हित में अपनी मन्नति भूमिका निभा सके तो हमें अवश्य ही उसके बोझ को कम करना होगा तथा उसके लिये मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराना होगा।

उपसंहार

शोध से पता चला है कि अधिकांश स्कूल वित्तीय बाधाओं से ग्रस्त हैं और गवर्निंग बोर्ड ने इस पहलू पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। फोकस समूह चर्चाओं ने बताया कि संस्थागत कर्मचारियों के साथ गवर्निंग बोर्ड की अधिक बातचीत नहीं हुई

है और महसूस किया गया कि यदि गवर्निंग बोर्ड और माता–पिता और शिक्षकों जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच उचित समझ और अच्छा तालमेल हो तो स्कूल बेहतर प्रदर्शन सकता है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक स्तर पर अध्यापक शिक्षा का औपचारिक स्वरूप होना आवश्यक है। नए–नए परिवर्तनों के कारण निरन्तर वृद्धि होती रहती है, जिससे पाठ्यक्रमों में नवाचार सम्भव हो सके। विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रमों मे होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही अध्यापक शिक्षा का भी पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। इसी आधार पर निरीक्षण तथा पर्यवेक्षणीय कार्य सम्पन्न किया जा सकता है। सामान्यतया प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम आज प्रचलित हैजैसा कि हम सभी जानते हैं कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक स्तर पर अध्यापक शिक्षा का औपचारिक स्वरूप होना आवश्यक है। नए–नए परिवर्तनों के कारण निरन्तर वृद्धि होती रहती है, जिससे पाठ्यक्रमों में नवाचार सम्भव हो सके। विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रमों मे होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही अध्यापक शिक्षा का भी पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। इसी आधार पर निरीक्षण तथा पर्यवेक्षणीय कार्य सम्पन्न किया जा सकता है। सामान्यतया प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम आज प्रचलित है।